न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **68/2016**
GCMS NO. : **2016/00421**

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज0)

1. सवड़ी पत्नि केसा कौम– मेघवाल निवासी– डिगरना
2. बक्सा पुत्र केसा कौम– मेघवाल निवासी डिगरना
3. पुखा पुत्र केसा कौम– मेघवाल
4. हड़मानराम पुत्र घेवरराम कौम– मेघवाल निवासी– बोरून्दा
5. सुन्दरी पत्नी चैनाराम कौम– मेघवाल, निवासी– बोरून्दा
6. सन्तोषकुमार पुत्र रिडमल कौम– मेघवाल, निवासी– बोरून्दा
7. मगनभाई पुत्र बलवन्त भाई कौम चमार सा0 साकरी तहसील– पाटन (गुजरात)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:.20.04.2016

उपस्थित:–

1. तहसीलदार जैतारण, पैरोकार सरकार राज0।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 16.03.2021**

प्रार्थी/वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा डिगरना में गैर सायल संख्या 1 से 6 खसरा न0 724/1 रकबा 07–00 बीघा किस्म गै0मु के मूल खातेदार थे। जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 तक उक्त आराजी गैर सायल के नाम खाता सं. 152 मे दर्ज थी, और क्रय से पहले भी जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 एवं 2061 से 2064 के खाता सं0 393 व 408 ग्राम डिगरना मे खातेदार दर्ज थे। अपनी उक्त खातेदारी भूमि को गैर सायल सं0 1 से 6 ने गैरसायल नं. 7 को बैचान कर दिया। चूकि गैर सायल सं0 1 से 6 राजस्थान राज्य के मूल निवासी है एवं अनुसूचित जाति के खातेदार काश्तकार है। इनके द्वारा गैरसायल [illegible] गुजरात के निवासी है, उनको उक्त भूमि का बैचान कर दिया है जो [illegible] राज्य के बाहर के निवासी है। अतः इनको बैचान करना अवैध है। [illegible] अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति वर्ग का व्यक्ति [illegible] के अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति वर्ग का व्यक्ति को ही बैचान कर सक[illegible] है। गैर सायल संख्या 01 से 06 ने गैर सायल संख्या 7 के पक्ष में राज्य के बाहर के निवासी होने के उपरान्त भी बैचान किया हैं, को बैचान करना अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के अनुसार एवं इसमे आवश्यक संशोधन कर राजस्थान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

शहर अर्थात गुजरात राज्य या अन्य राज्य के लिए बेचान को अवैध करार दिया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (6) राज./6/09 दिनांक 11.2.2009 में उल्लेखित के अनुसार दिनांक 11.2.2009 के बाद के बैचान अवेध होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) का उल्लघंन है एवं हस्तान्तरण शुरू से ही शून्य है। राजस्थान राज्य का अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति वर्ग का व्यक्ति द्वारा अपनी कृषि भूमि का बेचान किसी अन्य राज्य के अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति वर्ग के व्यक्ति को किया जाना धारा 42 का उल्लघंन है। गैर सायल सं0 6 व 7 के मध्य किया गया विक्रय/क्रय उक्त तिथि अर्थात् 11.2.2009 के बाद से अवैध है। गैर सायल सं0 04 से 05 के मध्य उक्त किया गया बैचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(6) राज. /16/09 दिनांक 11.2.2009 में उल्लेखित के अनुसार राज्य सरकार के नियमों के विपरित है। गैर सायल सं0 07 ने उक्त खसरा नं0 725/1 रकबा 07-00 बीघा के बैचान अपने पक्ष में करवा कर खनन कार्य किया है, जो नियम विरुद्ध है गैर सायल द्वारा दिनांक 11.2.2009 के बाद क्रय की गई है, जो अवैध होने से काबिल निरस्त के है। गैर सायल संख्या 7 ने उक्त क्रय की गई भूमि में खनन कार्य किया जो गैर कानुनी है। अनुसुचित जाति के वर्ग जो राजस्थान के निवासी है और अनुसुचित जाति के वर्ग जो राजस्थान के मुल निवासी है, वे ही इस आराजी को क्रय/विक्रय कर सकते है। अन्य राज्य के अनुसुचित जाति वर्ग की राजस्थान में कय करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(6) राज./6/09 दिनांक 11.2.2009 में उल्लेखित के अनुसार दिनांक 11.02.2009 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त आराजी पर गैर सायल संख्या 07 अवैध रुप से काबिज है तथा हस्तान्तरण शूरू से ही शून्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। सायल को जानकारी दिनांक 28.03.2016 को हुई है। अवैध हस्तान्तरण सुनने का अधिकार न्यायालय क्षेत्र मे है। सायल स्वयं भूमिधारी है और राज्य सरकार के हित में होने से कोर्ट फीस से मुक्त किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायल संख्या 3 के द्वारा गैर सायल संख्या 4 के पक्ष में किया गया बैचान अवैध है जो राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 3(6) राज./6/09 दिनांक 11.02.2009 के तहत अवैध होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन है। उक्त बेचान को निरस्त करवाकर गैर सायल संख्या को बेदखल कर खसरा नम्बर 724/1 रकबा 07-00 बीघा को राज्य सरकार के पक्ष मे सिवाय चक घोषित किया जाकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

वादी/प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्र[illegible]/अप्रार्थीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व [illegible] बावजूद सम्मन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध [illegible] की गई है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब दावा पेश करने हेतु अनेकानेक अवसर एवं कोष्ट राशि पर समय [illegible] जाने के बावजूद भी पेश नहीं करनें से जवाब दावा बन्द किया गया। बहस राज पैरोकार की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करनें से प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

किये जा सके अतः हम प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् करना आवश्यक एवं उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार है:-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी तहसील जैतारण ग्राम डिगरना खसरा नम्बर 724/1 रकबा 07-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन के खातेदार गैरसायल संख्या 01 से 06 जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी तथा राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य है, द्वारा जरिये पंजीकृत बैचान गैरसायल संख्या 07 मगन भाई पुत्र बलवन्त भाई कौम चमार सा० साकरी तहसील- पाटन(गुजरात) के पक्ष में जो कि राजस्थान से भिन्न अन्य राज्य के मूल निवासी है, कर दिया गया है तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा क्रेता गैरसायल संख्या 07 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर मौके पर खनन कार्य किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42ख एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 3(6) राज./6/09 दिनांक 11.02.2009 का उल्लंघन होने से आरम्भतः शून्य एवं विधि विरूद्ध है। अतः गैरसायल संख्या 07 एवं क्रेता मगन भाई पुत्र बलवन्त भाई को मौके से बेदखल कर वादग्रस्त आराजी को खाता सरकार सिवाय चक दर्ज कि जावें।

2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42ख में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है:- ***"42 विक्रय, दान और वसीयत पर साधरण निर्बन्धन- किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी, यदि- (ख) ऐसा विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो।"***

3. राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अन्य प्रदेश के रहने वाले दलितों को राजस्थान निवासी दलितों की कृषि भूमि खरीदनें पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42ख के प्रावधान लागू होनें के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या 3(6) राज./6/09 दिनांक 11.02.2009 द्वारा निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया गया है:- "धारा 42 के लागू होनें के सम्बन्ध में कुछ शंकायें सामने आयी है कि जो अन्य प्रदेश के निवासी है और राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति के सदस्य हैं, क्या वे अन्य प्रदेश के दलित होनें के नाते राजस्थान में दलितों की कृषि भूमि की खरीद फरोख्त कर सकते है? इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श कर इस बिन्दु के परीक्षण स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है:- शब्द अनुसूचित जाति/जनजाति को काश्तकारी अधि[illegible] धारा 5(37क) एवं 5(37ख) किया गया है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

37क. "अनुसूचित जाति" से अभिप्राय संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 के भाग 14 के भीतर कोई भी जाति, प्रजाति या जनजाति से अथवा जातियां या जनजातियों के सदस्यों अथवा तदन्तर्गत समूहों से होगा।

37ख. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्राय संविधान(अनु. जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 12 के भीतर कोई भी जन-जातियां या जनजाति-समुदायों से अथवा जन-जातियों या जनजाति समुदायों के भाग से या तदन्तर्गत समूहों से होगा।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

"उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखतें हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि सिर्फ उन्हीं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचान, दान या वसीयत के रूप में दी जा सकती है। जिनका राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के सूची में अंकित है और जो राजस्थान के निवासी है, तो स्थिति यह उभरती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि का बेचान, दान, वसीयत उन लोगों के लिए वर्जित है जो राजस्थान के निवासी नहीं है और जिनका नाम राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में नहीं हैं। ऐसे हस्तांन्तरण को धारा 42 के तहत विधि शून्य(वोइड) माना जायेगा।"

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8425/2013 रंजना कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड एवं अन्य में निर्णय दिनांक 01.01.2018 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ......*'The appellant who belongs to Valmiki caste (Scheduled Caste) of the State of Punjab married a person belonging to the Valmiki caste of Uttarakhand and migrated to that State- In the State of Uttarakhand under the Presidential Order 'Valmiki' is also recognized notified as a Scheduled Caste. The State of Uttarakhand issued a certificate to the appellant. The appellant contended before the High Court that she was a Scheduled Caste of the State of Uttarakhand. The High Court having rejected the claim] the appellant is in appeal before us. Two Constitution Bench judgments of this Court in Marri Chandra Shekhar Rao vs. Dean, Seth G.S. Medical College & Ors.*[1] *and Action Committee on Issue of Caste Certificate to Scheduled Castes & Scheduled Tribes in the State of Maharashtra & Anr. vs. Union of India & Anr.*[2] *have taken the view that merely because in the migrant State the same caste is recognized as scheduled Caste, the migrant cannot be recognized as Scheduled Caste of the migrant State. The issuance of caste a certificate by the State of Uttarakhand, as in the present case, cannot dilute the rigours of the Constitution Bench Judgments in Marri Chandra Shekhar Rao (supra) and Action Committee (supra). We, therefore, find no error in the order of the High Court to justify any interference. The appeal is accordingly dismissed."* इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित उपर्युक्त मत से यह स्पष्ट है कि राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्धित आरक्षण का लाभ केवल उस राज्य के मूल निवासी जो उस राज्य की ऐसी सूची में सम्मलित हैं, प्राप्त करने के हकदार है। अन्य राज्य के ऐसे व्यक्ति जिनकी जाति भले ही अपने राज्य की ऐसी सूची में सम्मलित हो वह आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अर्थात् अन्य राज्य के मूल निवासी जिनकी जाति उस राज्य विशेष की अनुसूचित जाति संवर्ग में सम्मलित होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति राजस्थान राज्य के लिये अनुसूचित जाति संवर्ग के सदस्य के [illegible] नहीं माने जा सकते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

5. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् [illegible] डिगरना के खसरा नम्बर 724/1 रकबा 07–00 बीघा किस्म गैरमुमकिन मगन भाई पुत्र बलवन्त भाई परमार कौम चमार सा0 सांखरी तहसील पाटन गुजरात बतौर खातेदार दर्ज है। मौका फर्द पटवारी पटवार हल्का डिगरना दिनांक 06.04.2016 के अनुसार खसरा संख्या 724/1 की वादग्रस्त भूमि में मौके पर खनन कार्य किया जा रहा है। पटवारी पटवार हल्का डिगरना द्वारा दिनांक 12.03.2018 को तहसीलदार जैतारण को

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[घो]षित पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी में मौके पर खनन कार्य किया जा रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 ग्राम डिगरना के अनुसार वादग्रस्त भूमि सवड़ी पत्नी केसा, बक्सा, पुखा पि0 केसा कौम भांबी सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 ग्राम डिगरना के अनुसार वादग्रस्त भूमि सन्तोष कुमार पुत्र रिडमल कौम मेघवाल सा0 बोरून्दा के नाम दर्ज है। पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 14.09.2011 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 130 पृष्ठ संख्या 129 क्रम संख्या 2011002990 द्वारा उपपंजीयक जैतारण के अनुसार खातेदार सवड़ी पत्नी केसा जी, बक्सा, पुका, पि0 केसा जी जाति भाम्बी (मेघवाल) निवासी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली राज0 द्वारा ग्राम डिगरना के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 724/1 रकबा 07-00 बीघा का जरिये पंजीकृत बैचाननामा क्रेता सन्तोष कुमार पुत्र रिडमल जाति- मेघवाल निवासी- बोरून्दा तहसील बिलाड़ा जिला- जोधपुर राज0 के पक्ष में हस्तांतरण किया गया जो नामान्तरण संख्या 1330 दिनांक 20.04.2012 ग्राम डिगरना स्वीकृत होकर क्रेता के नाम खातेदारी भूमि दर्ज हुई। पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 29.06.2012 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 154 पृष्ठ संख्या 170 क्रम संख्या 2012000249 द्वारा उपपंजीयक जैतारण के अनुसार खातेदार सन्तोष कुमार पुत्र रिडमल जाति- मेघवाल निवासी- बोरून्दा तहसील बिलाड़ा जिला- जोधपुर राज0 द्वारा ग्राम डिगरना के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 724/1 रकबा 07-00 बीघा का जरिये पंजीकृत बैचाननामा क्रेता मगन भाई पुत्र श्री बलवन्त भाई परमार जाति- हिन्दू चमार निवासी ग्राम सांखरी तहसील पाटन जिला पाटन (गुजरात) के पक्ष में हस्तांतरण किया गया जो नामान्तरण संख्या 1428 दिनांक 05.05.2013 ग्राम डिगरना स्वीकृत होकर क्रेता के नाम खातेदारी भूमि दर्ज होकर वर्तमान में बदस्तूर जारी है।

6. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि राजस्थान के मूल निवासी एवं वादग्रस्त आराजी का खातेदार सन्तोष कुमार पुत्र रिडमल जाति- मेघवाल निवासी- बोरून्दा तहसील बिलाड़ा जिला- जोधपुर राज0 जिसकी जाति मेघवाल है जो कि राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग के क्रम संख्या 46 पर दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42ख यह बाध्यकारी विधिक प्रावधान करती है कि राजस्थान राज्य का अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य को ही अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बैचान, दान या वसीयत कर सकता है तथा अन्य के सम्बन्ध में ऐसा अन्तरण आरम्भतः शून्य माना गया है। राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी पूर्व विवेचित स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान के गैर निवासी व्यक्ति राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य नहीं माना जा सकता भले ही ऐसे व्यक्ति की ज[illegible] मूल राज्य की ऐसी सूची में सम्मलित हो। अतः ऐसी स्थिति [illegible] राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में सम्मलित [illegible] जाति का सदस्य एवं खातेदार सन्तोष द्वारा गुजरात राज्य के निवासी एवं [illegible]ता मगन भाई के पक्ष में वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि का दिनांक 29.06.2012 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42ख का उल्लंघन होनें, धारा 42ख से बाधित होनें से आरम्भतः शून्य है। पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 29.06.2012 में अभिलिखित कथनों, नामान्तरण संख्या 1428

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन ... अधिकारी ... (पाली)

दिनांक 05.05.2013 ग्राम डिगरना तथा पटवारी पटवार हल्का डिगरना की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि क्रेता द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा मौके पर विक्रेता के स्थान पर क्रेता काबिज है। अतः क्रेता मौके से बेदखली के लिये दायी है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्षतः एवं स्पष्ट अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किया गया बैचान दिनांक 29.06.2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42ख का उल्लंघन एवं इससे बाधित होनें से आरम्भत शून्य है तथा मौके पर काबिज खातेदार एवं क्रेता मौके से भौतिक रूप से बेदखली के लिये दायी होनें से इनकों वादग्रस्त आराजी पर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करते हुये, वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करते हुये कब्जा राज लिया जाना पूर्णतया विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण जिला– पाली राज0 के खसरा संख्या 724/1 रकबा 07–00 बीघा को सिवाय चक खाता सरकार घोषित करते हुये तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख से अन्तरिती का नाम विलोपित करते हुये अन्तरक और अन्तरिती तथा इनकी और से अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से मौके से भौतिक रूप से बेदखल करते हुये कब्जा राज लिया जावें। वाद वादी इसी मुताबिक डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला– पाली(राज०)

1. सवड़ी पत्नि केसा कौम– मेघवाल निवासी– डिगरना
2. बक्सा पुत्र केसा कौम– मेघवाल निवासी डिगरना
3. पुखा पुत्र केसा कौम– मेघवाल
4. हड़मानराम पुत्र घेवरराम कौम– मेघवाल निवासी– बोरून्दा
5. सुन्दरी पत्नी चैनाराम कौम– मेघवाल, निवासी– बोरून्दा
6. सन्तोषकुमार पुत्र रिडमल कौम– मेघवाल, निवासी– बोरून्दा
7. मगनभाई पुत्र बलवन्त भाई कौम चमार सा० साकरी तहसील– पाटन(गुजरात)

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा , 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 68/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री चावण्डदान बारहठ, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वाद वादी अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण जिला– पाली राज० के खसरा संख्या 724/1 रकबा 07–00 बीघा को सिवाय चक खाता सरकार घोषित करते हुये तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख से अन्तरिती का नाम विलोपित करते हुये अन्तरक और अन्तरिती तथा इनकी और से अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से मौके से भौतिक रूप से बेदखल करते हुये कब्जा राज लिया जावें। वाद वादी इसी मुताबिक डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद ......–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा क...

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के ... तारीख ... को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	Nil		खर्चा गवाहान	Nil	
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested